

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/ 1533
निमित्त,

दिनांक 30-03-2023

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 189.2515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 5323-24 दिनांक 20.03.2023 एवं उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 3257 दिनांक 28.03.2023, 3257 दिनांक 28.03.2023,

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रस्ताव के सम्बन्ध में मीटिंग दिनांक 20.03.2023 एवं आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 20.03.2023 से प्राप्त आक्षेपों की निम्नानुसार पूर्ति कर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 28.03.2023 से प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

| S.No. | Stipulated EDS | Compliance |
|-------|---|--|
| 1. | के.एम.एल. फाईल, डी.जी.पी.एस. मैप, जी.टी. शीट एवं सेफ्टी जोन लागत लाभ विश्लेषण पूर्वानुसार है। | यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित के.एम.एल. फाईल, डी.जी.पी.एस. मैप, जी.टी. शीट एवं सेफ्टी जोन लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं। (संलग्न) |
| 2. | नवीन माईनिंग प्लान में (189.2515 है0) हेतु संलग्न किया जाना। | यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित करके नवीन माईनिंग प्लान ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। |
| 3 | गैर वन क्षेत्र को पांच गुणा लिया गया, कारण स्पष्ट करावें। | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक दिनांक 24.08.2022 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार गैर वन क्षेत्र का पांच गुणा क्षेत्रफल लिया गया है। |
| 4 | माईनिंग रिक्लेमेशन प्लान संलग्न नहीं है। | यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है। |
| 5 | दोनों ब्लॉक के कुल एरिया को वन एवं अभ्यारण्य के ESZ सीमा से मार्क करावें। | यूजर एजेन्सी द्वारा मार्क कर संलग्न कर दिया गया है। |
| 6 | साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की गयी किन्तु उसे पार्ट- II में सही जगह अपलोड करें। | उप संरक्षक, भरतपुर द्वारा अवगत कराया है कि साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी |

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/
निमित्त,

दिनांक

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 189.2515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 5323-24 दिनांक 20.03.2023 एवं उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 3257 दिनांक 28.03.2023, 3257 दिनांक 28.03.2023,

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रस्ताव के सम्बन्ध में मीटिंग दिनांक 20.03.2023 एवं आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 20.03.2023 से प्राप्त आक्षेपों की निम्नानुसार पूर्ति कर उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 28.03.2023 से प्रस्ताव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

| S.No. | Stipulated EDS | Compliance |
|-------|---|--|
| 1. | के.एम.एल. फाईल, डी.जी.पी.एस. मैप, जी.टी. शीट एवं सेफ्टी जोन लागत लाभ विश्लेषण पूर्वानुसार है। | यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित के.एम.एल. फाईल, डी.जी.पी.एस. मैप, जी.टी. शीट एवं सेफ्टी जोन लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये है। (संलग्न) |
| 2. | नवीन माईनिंग प्लान में (189.2515 है0) हेतु संलग्न किया जाना। | यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित करके नवीन माईनिंग प्लान ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। |
| 3. | गैर वन क्षेत्र को पांच गुणा लिया गया, कारण स्पष्ट करावें। | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक दिनांक 24.08.2022 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार गैर वन क्षेत्र का पांच गुना क्षेत्रफल लिया गया है। |
| 4. | माईनिंग रिकलेमेशन प्लान संलग्न नहीं है। | यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है। |
| 5. | दोनों ब्लॉक के कुल एरिया को वन एवं अभ्यारण्य के ESZ सीमा से मार्क करावें। | यूजर एजेन्सी द्वारा मार्क कर संलग्न कर दिया गया है। |
| 6. | साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की गयी किन्तु | उप संरक्षक, भरतपुर द्वारा अवगत कराया है कि साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kathirvel Palanisamy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.03.30 20:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3534634



| | | |
|---|--|--|
| | उसे पार्ट- II में सही जगह अपलोड करें। | अक्षमता होने के कारण पूर्व वाली जगह पर अपलोड नहीं हो पा रही है। इसलिए Upload Additional Information वाले section में साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दी गयी है। |
| 7 | वृक्षों की गणना अलग-अलग अर्थात् कही पर 1,89,000 है तो कही पर 872 एवं 812 भी बताई गयी है। पार्ट- II अनुसार गणना में एक रूपता रखी जावें। | उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा वृक्षों की गणना में पार्ट- II अनुसार संशोधित कर एक रूपता कर दी गई है। |
| 8 | डीजीपीएस मैप को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड नहीं करनी है। | यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित अपलोड कर दिया गया है। |
| 9 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.08.2022 की बिन्दुवार सूचना। | उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा सूचना पत्र के साथ संलग्न कर दी गयी है। |

बिन्दु सं. सी – भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.08.2022 से प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति :-

| S.No. | Stipulated EDS | Compliance |
|-------|---|---|
| 1. | The DCF, Bharatpur had recommended That no Mining should be allowed in 15.30 ha area which falls inside Eco-Sensitive Zone of band-baretha Wildlife Sanctuary and accordingly the Proposal was recommended by the State However, now it has been informed that Govt. the boundaries of Eco sensitive Zone of Bandh Baretha Wild life Sanctuary are being modified. In View of this, the Govt. is requested to clarify the position alongwith a copy of Notification of Ecosensitive Zone. | यूजर एजेन्सी द्वारा ईको सेन्सिटिव जोन को प्रस्ताव से बाहर निकाल दिया गया है। उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा इस संबंध में उप वन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर से पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए संशोधित प्रस्ताव का क्षेत्र पूर्णतः ईको सेन्सिटिव जोन के बाहर है। उप वन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर का पत्र संलग्न है। |
| 2 | Integrated Regional Office (IRO), Jaipur in SIR has pointed out that the proposed Ministry's Guideline dated 13.07.2022 CA area is not of very good Quality as per area. and only 200 Plants /ha can be planted on this been Further it has mentioned that in order to accommodate 1000 Plants for each hectare of CA plantation, in addition to 248.55 ha area an additional area of 994.206 hha (248.55 ha. x 4) can be Utilized from the remaining 4582.809 ha Which is already available at the | उप वन संरक्षक, भरतपुर यह प्रस्ताव यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवं 5 गुना गैर वन क्षेत्र 946.2575 है0 के लिए सी0ए0 स्कीम प्रस्तावित की गई है। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kathirvel Palanisamy
Designation : Chief Conservator of
Forest
Date: 2023.03.30 20:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3534634



| | | |
|---|---|--|
| | same location. In view of this, the State Govt. Shall revisit the proposed CA sites and ensure that the same are in the accordance with the Ministry guideline issued vide Letter No. 11-423/2011-FC dated 13.07.2022. The Ca Scheme approved by the competent authority is accordingly required to be submitted. | |
| 3 | IRO Jaipur has also reported that the areas comprising Kankanchal and Adi Badri hills in Bharatpur District forms part of important Brij Chaurashi region, Witch is main center of the Krishna Circuit of the Hindu Pilgrimage. State Govt. shall examine the impact of the same on proposed CA areas and ensure that it does not adversely affect the continuity and compactness of the CA areas | उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि ब्रज चौरासी यात्रा के मार्ग से वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूजर एजेन्सी ने यह भी प्रमाणित किया है कि ब्रज चौरासी यात्रा से Compensatory Afforestation वाले क्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। |
| 4 | The State gov't has not yet uploaded the kml file of the safety Zone on PARIVESH portal. It is again requested that the KML file for safety zone area may be uploaded on PARIVESH. | उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा अपलोड कर दी गयी है। |
| 5 | The approved reclamation plan for open cast mining has not been furnished which is required to be done. | यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है। |

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर से प्राप्त प्रस्ताव की तीन हार्ड प्रतियां उपरोक्तानुसार सम्बन्धित दस्तावेज व संशोधित सीए स्कीम संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र के संलग्न व प्रस्ताव उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरांत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(पी. कथिरवेल)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर
दिनांक

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/

प्रतिलिपी :- उप वन संरक्षक, भरतपुर को संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kathirvel Palanisamy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.03.30 20:34:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3534634

